न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांक:– 07.10.2022

मु0न0 124/2022

पीठासीन अधिकारी:– सुनीता मीना आर.ए.एस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:05 IST
Reason: SelfAttested

उनवान

1. मुनेश पुत्र लखन
2. रामावतार पुत्र लखन
3. रवि पुत्र लखन
4. पिन्टू पुत्र लखन
5. संतोष पुत्र लखन
6. भजनी पत्नि लखन

जाति मीना निवासी नांगलशेरपुर तहसील टोडाभीम।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. केसन्ती पत्नि रघुवीरसिंह मीना
2. किशनप्यारी पत्नि जगपाल मीना
3. रामरूप पुत्र रतन
4. रघुवीर पुत्र रतन
5. यशपाल पुत्र रतन
6. जगपाल पुत्र रतन
7. रामदयाल पुत्र रतन
8. मेघराम पुत्र रतन
9. राजाराम पुत्र रतन

जातियान मीना निवासी नांगलशेरपुर तहसील टोडाभीम।

(अप्रार्थी गण)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट वादीगण

निर्णय दिनांक 14.08.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पहाडी की आराजी ख0न0 1157/5215/0.60, 1168/0.06, 1169/0.07, 1170/0.10, 1171/0.13, 1172/0.15, 1173/0.20, 1175/0.07, 1176/0.28, 1218/5217/0.07 कुल किता 10 कुल रकवा 1.73 है0 मे प्रार्थीगण बहिस्सा 1/2 के खातेदार तथा अप्रार्थी न0 1 बहिस्सा 1/4 अप्रार्थी न0 2 बहिस्सा 1/4 की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है अप्रार्थी न0 3 ता 9 का विवादग्रस्त आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण को विरासत मे प्राप्त हुई है। इससे पूर्व आराजी प्रार्थीगण के पिता लखन व ताउ रामराज के नाम रही है प्रार्थीगण के ताउ रामचरण द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान अप्रार्थीगण न0 1 व 2 को कर दिया था शेष हिस्सा 1/2 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी है। जिस पर अप्रार्थीगण न0 3 ता 9 बिना अधिकार के सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करना चाहते है।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

...अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला–करौली

फर्द अहकाम

उन्वान– मुकेश बनाम केसरी

मु0न0–124/2022

वाका दिनांक 28.09.2022 का है कि प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर जोत लगवा रहे थे कि अप्रार्थीगण न0 3 ता 9 आये तथा कहने लगे कि तुन इस आराजी पर जोत नत लगवाओ अब की बार ने उक्त आराजी को हन कास्त करेंगे इस पर प्रार्थीगण द्वारा यह कहने पर कि हन अपने हिस्सेनुसार काबिज है तथा तुम्हारा इस जनीन पर कोई वास्ता नही है तथा किसी को आपत्ति है तो तहसील ने चलकर बटवारा करा लेगी तो अप्रार्थीगण न0 3 ता 9 नाराज हो गये और कहने लगे कि तुम्हारी सम्पूर्ण आराजी खरीद ली है इसलिये हन तो तुम्हारी आराजी को कास्त करेंगे इस प्रकार अप्रार्थीगण अपनी इस कचेष्ठा ने कानयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा अप्रार्थीगण को ता दावा फैसला पाबन्द फरमाया जावे कि वे ग्रान पहाडी की आराजी आराजी ख0न0 1157/5215/0.60, 1168/0.06, 1169/0.07, 1170/0.10, 1171/0.13, 1172/0.15, 1173/0.20, 1175/0.07, 1176/0.28, 1218/5217/0.07 कुल किता 10 कुल रकवा 1.73 है0 ने प्रार्थीगण के हिस्से के कब्जे कास्त ने मजाहनत नदाखलत नही करे, बेदखल नही करे, नौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण न0 1 ता 9 की और से श्री हंसराज गुर्जर एडवोकेट ने वकालत नाना पेश किया लेकिन जबाब के कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब पेश नही किया और दिनांक 05.02.2024 को अप्रार्थीगण वकील ने हिदायत पैरवी नही करने का कथन किया जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण न0 1, 2, 4, 7, 9, बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण न0 3,5,6 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसने कथन किया है कि प्रार्थना पत्र ने वर्णित आराजीयात से हनारा कोई सरोकार नही है प्रार्थीगण ने वर्णित आराजीयात 35 वर्ष पूर्व बदलपत्र करके दी थी जिस पर आज दिन तक हन काबिज थे अब प्रार्थीगण ने यह वादपत्र उक्त जनीन के संबध ने पेश किया है। प्रार्थीगण की वर्णित आराजीयात से हनारा कोई सरोकार नही रहेगा। प्रार्थीगण द्वारा किये गये बदले की आराजी पर हन काबिज कास्त हो गये है।

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र ने वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र ने वर्णित आराजीयात ने प्रार्थीगण बहिस्सा 1/2 के खातेदार तथा अप्रार्थीगण न0 1 बहिस्सा 1/4 अप्रार्थीगण न0 2 बहिस्सा 1/4 की खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है अप्रार्थीगण न0 3 ता 9 का विवादग्रस्त आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण को विरासत ने प्राप्त हुई है। इससे पूर्व आराजी प्रार्थीगण के पिता लखन व ताउ रानराज के नान रही है वादीगण के ताउ रानचरण द्वारा अपने हिस्से की भूनि का बेचान अप्रार्थीगण न0 1 व 2 को कर दिया था शेष हिस्सा 1/2 प्रार्थीगण के कब्जे कास्त की आराजी है। जिस पर अप्रार्थीगण न0 3 ता 9 बिना अधिकार के सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करना चाहते है। जिससे आये दिन विवाद बना रहता है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible] प्रार्थीगण को पाबन्द फरनाया जावे कि प्रार्थीगण के हिस्से के कब्जे [illegible] करे, बेदखल नही करे, नौके व रिकार्ड की यथास्थिति [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण वकील की बहस पर ननन किया पत्रावली [illegible] शानिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली ने शानिल ग्रान पहाडी की जनाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 58 ने कुल किता 10 कुल रकवा 1.73 है0 ने प्रार्थीगण 1/2 हिस्से का खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा 1/4 हिस्से की अप्रार्थीगण न0 1 तथा 1/4 हिस्से की

(सुनीता मीना)

नायब तहसीलदार एवं अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर...

मु0न0:—124/2022 उनवानः— मुनेश बनाम केसन्ती

अप्रार्थीगण न0 2 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण पत्रावली मे वकालतनामा पेश किया परन्तु जबाब पेश करने की स्टेज पर जबाब पेश नही कर हिदायत पैरवी का कथन किया उसके उपरान्त कोर्ट नोटिस से तलब किये जाने के बावजूद अनुपस्थित न्यायालय रहे है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः अप्रार्थीगण को ता दावा फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम पहाडी की आराजी ख0न0 1157/5215/0.60, 1168/0.06, 1169/0.07, 1170/0.10, 1171/0.13, 1172/0.15, 1173/0.20, 1175/0.07, 1176/0.28, 1218/5217/0.07 कुल किता 10 कुल रकवा 1.73 है0 मे प्रार्थीगण के हिस्से की आराजीयात मे कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:05 IST
Reason: SelfAttested